

मुकदमों का विवरण

तरुण कुमार

बनाम

प्रवर्तन के सहायक निदेशक (2023 की आपराधिक अपील संख्या 3593)

20 नवंबर, 2023

[अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:अपीलार्थी को यू/एस के नेतृत्व में चौथी पूरक शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। 44, 45, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम, 2002, शिकायत मामले में तीन शिकायतों की निरंतरता में, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि क्या ई. सी. आई. आर. सं. वाले उक्त शिकायत मामले के संबंध में जमानत की मांग करने वाले अपीलार्थी की जमानत याचिका को खारिज करने में न्यायसंगत ठहराया गया है। 13(2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (डी), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और यू/एस। 120 बी आर/डब्ल्यू एसएस। 420, 465, 467, 468, 471, भारतीय दंड संहिता .

धन शोधन निवारण अधिनियम, **2002-ss.50, 45** - अपीलार्थी की याचिका कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं था और न ही पहली तीन अभियोजन/पूरक शिकायतों में और केवल जारी किए गए समन के अनुसार दर्ज किए गए गवाहों के बयानों के आधार पर फंसाया गया था। **50**, इसके समर्थन में कोई सामग्री के बिना:

आयोजित किया गया:उक्त निवेदन में कोई योग्यता नहीं है-गवाहों/अभियुक्तों के बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। 50 और इस तरह के बयान धन शोधन के गंभीर अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में एक दुर्जेय मामला बना सकते हैं-जैसा कि अपीलार्थी के खिलाफ दायर पूरक शिकायत से पता चलता है, इसके अलावा दर्ज किए गए गवाहों के बयान। 50, पी. एम. एल. ए. ने दस्तावेजों के रूप में पर्याप्त सामग्री एकत्र की थी जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि कैसे अपीलार्थी जानबूझकर एक पक्ष था और वास्तव में प्रक्रिया में और अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था, वह कैसे अपराध की ऐसी आय को अप्रमाणित के रूप में पेश/दावा कर रहा था और कैसे वह 814

अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अपराध की आय का लाभार्थी था-अपीलार्थी धाराओं में अनुध्यात सीमा शर्तों को पार करने में सक्षम नहीं हुआ है।⁴⁵ चूँकि वह प्रथम दृष्टया यह साबित करने में विफल रहा है कि वह कथित अपराध के लिए दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है-धाराओं में निर्धारित शर्तों के उद्देश्य के लिए सबूत का बोझ अभियुक्त पर है।⁴⁵ कि वह इस तरह के अपराध के लिए दोषी नहीं है-निश्चित रूप से, इस तरह के बोझ का निर्वहन संभावनाओं पर हो सकता है, फिर भी तत्काल मामले में प्रत्यर्थी द्वारा दर्ज की गई पर्याप्त सामग्री है जो धन शोधन के कथित अपराध में अपीलार्थी की भारी भागीदारी को दर्शाती है। 3, पी. एम. एल. ए., इस प्रकार, अपीलार्थी को जमानत नहीं दी जा सकती है-अपीलार्थी को इस आधार पर जमानत देने के लिए निवेदन कि अपीलार्थी के समान स्थित अन्य सह-अभियुक्तों को जमानत दी गई थी, स्वीकार नहीं की गई थी-जमानत-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-दंड संहिता, 1860-एस.420, 465, 467, 468,471. [पैरा 15,16,20]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 -एस. 3:

आयोजित किया गया:मनी लॉन्ड्रिंग यू/एस।3 अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है जो किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त किया गया था-यह उस तारीख पर निर्भर नहीं है या उससे जुड़ा नहीं है जिस पर अनुसूचित अपराध या भविष्यवाणी अपराध किया गया है-प्रासंगिक तिथि वह तारीख है जिस पर व्यक्ति अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त होता है-इस प्रकार, व्यक्ति की किसी भी आपराधिक गतिविधि जैसे छिपाने, कब्जा करने, अधिग्रहण, अपराध की आय का उपयोग करने जैसी किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता, जितना कि इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या ऐसा होने का दावा करना, धन शोधन का अपराध होगा।3. [पैरा 15]

जमानत-समानता का सिद्धांत:

आयोजित किया गया:समानता विधि नहीं है-समानता के सिद्धांत को लागू करते समय, न्यायालय को आरोपी से जुड़ी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, जिसका आवेदन विचाराधीन है-तत्काल मामले अंतर्गत, मुख्य आरोपी, एस. बी. एफ. एल. के प्रबंध निदेशक, और समूह कंपनियों के के. एम. पी. और अन्य आरोपी, विभिन्न मुखौटा कंपनियों के मालिक/संचालक/नियंत्रक को असंवेदनशीलता और चिकित्सा आधार पर जमानत दी गई थी-सह-आरोपी जो एस. बी. एफ. एल. का आंतरिक लेखा परीक्षक था, उसे 815 द्वारा जमानत दी गई थी।

तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक निर्देश 816

हालाँकि, उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एस. एल. पी. होने के कारण चुनौती दी गई थी और यह विचाराधीन है-उच्च न्यायालय ने आक्षेपित

आदेश अंतर्गत अपीलकर्ता की ओर से की गई उक्त प्रस्तुति को दरकिनार करते हुए, उक्त सह-अभियुक्त को अलग किया था और कहा था कि उनके विपरीत जो एस. बी. एफ. एल. के आंतरिक लेखा परीक्षक थे (एस. बी. एफ. एल. के एक संक्षिप्त अवधि के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक), आवेदक खरीद का उपाध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष के रूप में अंतर्गत, वह कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए जिम्मेदार था और उसकी भूमिका वित्तीय संस्थाओं से बनाई गई थी, जहां प्रत्यक्ष ऋण निधि को एस. बी. एफ. एल. की सहयोगी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया था, जहां ऐप था।[पैरा 18]

जमानत-आर्थिक लाभ-न्यायालय का कर्तव्य:

आयोजित किया गया:आर्थिक अपराध एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ दौरा करने की आवश्यकता होती है-इस तरह की गहरी साजिशों को गंभीरता से देखने और सार्वजनिक धन के भारी नुकसान को शामिल करने की आवश्यकता है और इसे गंभीर अपराध के रूप में माना जाना चाहिए जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और इस तरह देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है-न्यायालय को जमानत की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करते समय, जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य को सावधानीपूर्वक तौलना आवश्यक नहीं है, फिर भी, उसे आरोप की प्रकृति, उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति, कथित अपराध के लिए निर्धारित सजा की गंभीरता, आरोपी के चरित्र, परिस्थितियों जो आरोपी के लिए विशिष्ट हैं, उचित संभावना को ध्यान में रखना चाहिए।

/

[2023] 14 एस सी आर।

जनता/राज्य आदि-हालाँकि, जमानत देते या अस्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्णय अस्थायी प्रकृति के होंगे, फिर भी न्यायालय से जमानत देने या देने से इनकार करने के लिए प्रथम दृष्टया राय व्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है जो विशेष रूप से आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विवेकपूर्ण आवेदन को प्रदर्शित करेगा।[पैरा 13,22]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, **1988** -एस. **45**-शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है:

आयोजित किया गया:अनिवार्य हैं-उनका अनुपालन करने की आवश्यकता है-न्यायालय को यह संतुष्ट करने की आवश्यकता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।²⁴, न्यायालय या प्राधिकरण को यह अनुमान लगाने का अधिकार है जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है कि अधिनियम के अंतर्गत अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धन शोधन के आरोप में आरोपित व्यक्ति के मामले में।³, अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल होती है-ऐसी शर्तें एस में उल्लिखित हैं।⁴⁵ यू/एस द्वारा जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी अनुपालन

करना होगा। 439, सी. आर. पी. सी. उस समय लागू अन्य विधि, यू/एस. पर पी. एम. एल. अधिनियम को दिए गए ओवरराइडिंग प्रभाव को देखते हुए। 71 पी. एम. एल. अधिनियम-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.439। [पैरा 17]

आपराधिक विधि -आर्थिक अपराध-अभियुक्तों की निरंतर नजरबंदी, अदालतें अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत त्वरित मुकदमे के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए उचित समय के भीतर मुकदमे को समाप्त करेंगी:

आयोजित किया गया: प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति के साथ, धन शोधन जैसे आर्थिक जोखिम देश की वित्तीय प्रणाली के कामकाज के लिए एक वास्तविक खतरा बन गए हैं और जांच एजेंसियों के लिए लेन-देन की जटिल प्रकृति का पता लगाने और समझने के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं, साथ ही इसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका भी-जांच एजेंसी द्वारा यह देखने के लिए बहुत सूक्ष्म अभ्यास किए जाने की उम्मीद है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर गलत तरीके से मामला दर्ज नहीं किया गया है और कोई भी अपराधी विधि के चंगुल से बच नहीं सकता है-जब न्यायालय द्वारा आरोपी की नजरबंदी जारी रखी जाती है, तो न्यायालय ों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे अनुच्छेद 21-भारत के संविधान- अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उचित समय के भीतर मुकदमे को समाप्त कर दें। [पैरा 23] 817

तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशक 818 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929; गौतम कुंडू बनाम। निदेशालय

प्रवर्तन (2015) 16 एससीसी 1: [2015] 15 एस. सी. आर. 499; रोहित टंडन बनाम। प्रवर्तन निदेशालय (2018) 11 एससीसी 46: [2017] 13 एस. सी. आर. 156-पर निर्भर।

मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1393; संजय रघुनाथ अग्रवाल बनाम। निदेशालय

प्रवर्तन (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 455; सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम.

केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य (2022) 10 एस. सी. सी. 51; मध्य प्रदेश राज्य बनाम शीतला सहाय और अन्य (2009) 8 एस. सी. सी. 617: [2009] 12 एससीआर 1048; वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2013) 7 एस. सी. सी. 439; निम्मगड्डा प्रसाद बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2013) 7 एस. सी. सी. 466; गौतम कुंडू बनाम। प्रवर्तन निदेशालय (ऊपर) बिहार राज्य और एक अन्य बनाम अमित कुमार उर्फ

बच्चा राय (2017) 13 एस. सी. सी. 751:[2017] 4 एससीआर 503; गुजरात राज्य

बनाम मोहनलाल जितामलजी पोरवाल और एक अन्य (1987) 2 एस. सी. सी. 364:
[1987]

2 एस. सी. आर. 677-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता :2023 की आपराधिक अपील No.3593।

2023 के बीए No.152 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 18.07.2023 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, मलक मनीष भट्ट, सुश्री नीहा नागपाल, सुश्री समृद्धि, करतिकेय डांग, रुद्रादित्य खरे, साहिर सेठ, नवीन शर्मा, करण कुमार पनेसर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एस. वी. राजू ए. एस. जी., मुकेश कुमार मारोरिया, अन्नम वेंकटेश, अर्काज कुमार, जोहेब हुसैन, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2023 के जमानत आवेदन संख्या 152 में पारित निर्णय और आदेश से व्यथित अपीलार्थी-अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से शिकायत मामला संख्या ईसीआईआर/डीएलजेडओ-1/12/2021 के संबंध में जमानत की मांग करने वाले अपीलार्थी की उक्त जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आर. सी. 0742020 ई 0014, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ 13 (1) (डी) के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 420,465,467,468 और 471 के साथ धारा 120 बी के अंतर्गत अपराध के लिए पंजीकृत है। अपीलार्थी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'पीएमएल अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 44 और 45 के अंतर्गत प्रतिवादी के नेतृत्व में चौथी पूरक शिकायत पर 22.06.2022 पर गिरफ्तार किया गया था, मामले संख्या 20/2021 में दिनांकित 01.09.2021,11.10.2021 और 18.11.2021 की शिकायत को जारी रखते हुए, पीएमएल अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन के उल्लंघन के लिए।

3. अभिलेख से स्पष्ट व्यापक तथ्यों और घटनाओं को निम्नानुसार बताया जा सकता है:

(i) मेसर्स शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड। (एस. बी. एफ. एल.) "शक्ति भोग" ब्रांड नाम के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री में लगा हुआ था। कंपनी का प्रबंधन इसके निदेशकों/गारंटर्स-श्री के माध्यम से किया जाता था। केवल कृष्ण कुमार, एस. सिद्धार्थ कुमार और श्रीमती. सुनंदा कुमार। अपीलार्थी श्री का भतीजा है। केवल कृष्ण कुमार, और उन्हें एस. बी. एफ. एल. में एक कर्मचारी के रूप में दिखाया गया था।

(ii) भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के संघ ने दिनांक 18.05.2018 के अनुबंध पत्र के माध्यम से एस. बी. एफ. एल. के फॉरेंसिक ऑडिट के संचालन के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर-बी. डी. ओ. इंडिया एल. एल. पी. की सेवाएं लीं।

819

तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक निर्देश [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 820

(iii) फॉरेंसिक ऑडिटर ने 01.04.2013 से 31.03.2017 की अवधि के लिए ऑडिट समीक्षा की और 25.06.2019 पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एस. बी. एफ. एल. के कामकाज में कई वित्तीय अनियमितताओं और विसंगतियों का खुलासा किया गया और आरोप लगाया गया कि एस. बी. एफ. एल. अपनी ऋण देनदारी का निर्वहन करने में विफल रहा और संघ के सदस्य बैंकों को रु। 3269.42 करोड़।

((iv) एक एफ. आई. आर. नं. है। आर. सी. 0742020 ई 0014 को एस. बी. एफ. एल. के निदेशकों/गारंटर्स और कर्मचारियों/कर्मचारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बैंक कार्यालय द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ 13 (1) (डी) के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 420, 465, 467, 468 और 471 के साथ पठित धारा 120 बी के अंतर्गत, सी. बी. आई., बैंक प्रतिभूति और धोखाधड़ी प्रकोष्ठ, नई दिल्ली द्वारा आई. डी. 1 पर पंजीकृत किया गया।

(v) चूंकि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 420, 467 और 471 के साथ पठित धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत अपराधों को पी. एम. एल. अधिनियम की अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, एक ई. सी. आई. आर. जिसमें सं. ई. सी. आई. आर./डी. एल. जेड. ओ.-1/12/2021 31 जनवरी, 2021 को एस. बी. एफ. एल. और अन्य के खिलाफ पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय धारा 3 के अंतर्गत अपराध करने की जांच के लिए अभियुक्तों के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा दर्ज की गई उक्त एफ. आई. आर. के संबंध में दर्ज किया गया।

(vi) अपीलार्थी को प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों द्वारा जांच और पूछताछ के उद्देश्यों के लिए लगभग सात बार बुलाया गया था जब तक कि पहली शिकायत प्रत्यर्थी द्वारा 01.09.2021 पर नहीं की गई थी। दूसरी और तीसरी पूरक शिकायतें क्रमशः 11.10.2021 और 18.11.2021 पर

प्रतिवादी के नेतृत्व में दर्ज की गई। हालाँकि, उक्त तीन शिकायतों में अपीलार्थी का नाम नहीं था।

(vii) जब अपीलकर्ता 22.06.2022 पर जांच अधिकारियों द्वारा कॉल के अनुसार प्रत्यर्थी के समक्ष उपस्थित था, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 18.08.2022 पर चौथी पूरक शिकायत प्रत्यर्थी के नेतृत्व में अपीलार्थी को अभियुक्त संख्या 10 के रूप में प्रस्तुत करने के लिए दर्ज की गई।

/

[2023] 14 एस सी आर।

(viii) अपीलार्थी ने शिकायत मामले सं.20/2021 विशेष न्यायाधीश (पी. सी.-ए. सी. टी.), राउज़ एवेन्यू न्यायालय कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के समक्ष 18.10.2022 पर, जिसे विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 23.12.2022 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। (ix) दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा 2023 का 152 नंबर का जमानत आवेदन भी दिनांक 18.07.2023 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

4. अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों को पैराग्राफ एन. ओ. एस. में विस्तृत किया गया है। 7, 7. 1, 7. 2, और 7.11 और इसका सारांश प्रत्यर्थी के नेतृत्व में चौथी पूरक शिकायत के पैरा 10 में बताया गया है। पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में धन शोधन के कथित अपराध के आयोग में अपीलार्थी की भूमिका निम्नानुसार है:

“तरुण कुमार शक्ति भोग लिमिटेड में उपाध्यक्ष (खरीद) थे और शक्ति भोग समूह की विभिन्न कंपनियों में निदेशक भी थे। वह शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी में सक्रिय रूप से शामिल था। तरुण कुमार सीधे तौर पर देवकी नंदन गर्ग और अशोक कुमार गोयल, एंटी ऑपरेटर्स द्वारा संचालित शेल कंपनियों से नकली चालान खरीदने में शामिल था। जांच से पता चला कि शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड को नकली चालान की आपूर्ति करने वाली मुखौटा संस्थाओं से संबंधित ईमेल भी तरुण कुमार को भेजे गए थे। इसके अलावा, तरुण कुमार बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के नकली चालान खरीदने के लिए मुखौटा कंपनियों को अपराध की आय हस्तांतरित करता था और प्रवेश संचालक विवेक प्रसाद से नकद में उसका कुछ हिस्सा एकत्र करता था। इसके अलावा, वह ऋण देने वाले बैंकों के साथ एल. सी. निपटान के लिए नकली बिलों का सत्यापन करता था। वह स्टॉक हेरफेर और शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के वित्तीय परिणामों को बढ़ाने की आपराधिक साजिश में भी शामिल था। तरुण कुमार ने अपराध की आय को मोड़ने, रोटेशन और हेराफेरी के लिए अपने निदेशक और नियंत्रण के अंतर्गत समूह कंपनियों के मंच का भी उपयोग किया। इसके अलावा, उन्होंने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड की निर्यात गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई और फिर विदेशों में अपराध की आय को छिपाने और छिपाने में सक्रिय भूमिका निभाई।

तरुण कुमार ने अपनी निर्देशित कंपनी गोल सिक्क्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर अपराध की आय का अधिग्रहण किया। 3. 69 करोड़।

तरुण कुमार जानबूझकर एक पार्टी थे और वास्तव में प्रक्रिया 821 में शामिल थे।

TARUN KUMAR v. ASSISTANT DIRECTOR DIRECTOR OF ENFORCEMENT [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 822 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

और अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि जिसमें इसका अधिग्रहण, उपयोग, कब्जा, छिपाना और/या पेश करने के साथ-साथ बेदाग होने का दावा करना शामिल है। वह अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अपराध की कार्यवाही का लाभार्थी था। इसलिए, तरुण कुमार ने यू/एस आर. डब्ल्यू. एस. के तहत धन शोधन का अपराध किया है। पी. एम. एल. ए., 2002 का 4. "

5. अभिलेख पर दस्तावेजों के माध्यम से न्यायालय को ले जाने वाले अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

(i) ई. सी. आई. आर./अभियोजन शिकायतों और एफ़. आई. आर. में बंद होने वाले लेन-देन आम थे, फिर भी अपीलार्थी का नाम एफ़. आई. आर. या पहली तीन अभियोजन/पूरक शिकायतों में नहीं था। (ii) सह-अभियुक्त रमन भुरारिया, जिसे इसी तरह अपीलार्थी के रूप में रखा गया है, को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है, और इसलिए अपीलार्थी समानता के आधार पर जमानत का हकदार है।

(iii) अपीलार्थी द्वारा की गई जाँच पूरी हो चुकी है और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों, यदि कोई हो, के संबंध में आगे की जाँच खुली रखी गई है और मामले की सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः, अपीलार्थी को अनिश्चित काल के लिए कैद नहीं किया जाना चाहिए। देरी के मामलों में जमानत के अधिकार, लंबे समय तक कारावास के साथ, आरोपों की प्रकृति के आधार पर, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 439 और PML अधिनियम की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए। इस संबंध में श्री लूथरा ने की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है।

मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय ब्यूरो के मामले में इस न्यायालय द्वारा

एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) सं. 1 से उत्पन्न आपराधिक अपील में जांच।

8167 2023 का और संजय रघुनाथ अग्रवाल बनाम के मामले में। प्रवर्तन निदेशालय 2.

((iv) केवल आर्थिक अपराध होने के कारण जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, श्री लूथरा ने भरोसा किया है कि

सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य 3 के मामले में निर्णय।

(v) ईडी अपीलार्थी और समान भूमिकाओं वाले व्यक्तियों, जिन्हें अभियुक्त के रूप में नहीं लिया गया है, के बीच भेदभाव करने के पीछे के तर्क को स्थापित करने में विफल रहा। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने मध्य प्रदेश राज्य में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है

बनाम शीतला सहाय और अन्य **4.**

(vi) न्यायालय को अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की ओर ले जाते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोप और कथित अपराधों के आयोग में अपीलार्थी की जिम्मेदारियां निराधार हैं।

(vii) अंत में, श्री लूथरा ने प्रस्तुत किया कि पीएमएल अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत जमानत के मानदंड बनाए गए हैं, और अपीलार्थी को हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है, इसलिए अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

6. हालाँकि, प्रतिवादी की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री एस. वी. राजू ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

(i) अपीलार्थी शक्ति भोग लिमिटेड में उपाध्यक्ष (खरीद) था और शक्ति भोग समूह की विभिन्न कंपनियों में निदेशक भी था और एस. बी. एफ. एल. द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी में सक्रिय रूप से शामिल था।

((ii) अपीलार्थी अन्य अभियुक्तों के साथ, जो निदेशक, प्रवर्तक और शेयरधारक थे, अपराध की आय के स्थानांतरण, आवर्तन और हेराफेरी में सीधे शामिल थे। 2007-08 से 2016-17 की अवधि के दौरान, अपीलार्थी के निदेशक के अंतर्गत अपराध की करोड़ों आय को बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के मुखौटा कंपनियों को हस्तांतरित किया गया था। अपीलार्थी ने बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक लेन-देन के उत्पन्न नकली बिलों के आधार पर एस. बी. एफ. एल. द्वारा लिए गए ऋण धन को शेल संस्थाओं को देने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

3 (2022) 10 एससीसी 51 4 (2009) 8 एससीसी 617 823

तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक निर्देश [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 824

(iii) अपीलार्थी एस. बी. एफ. एल. की निर्यात गतिविधियों में भी शामिल था। (iv) पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 45 (1) में निहित दोहरी शर्तें अपीलार्थी पर लागू होंगी और जांच की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कि अन्य अभियुक्त अभी भी प्रक्रिया में हैं, अपीलार्थी को इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है कि कथित रूप से शामिल अन्य व्यक्तियों को

गिरफ्तार नहीं किया गया है। श्री राजू ने इस न्यायालय के निर्णयों की संख्या पर भरोसा किया है जिन पर आवश्यकतानुसार विचार किया जाएगा।

7. प्रारंभ में, पक्षकारों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर ध्यान देने से पहले, यह ध्यान रखना उचित होगा कि पीएमएल अधिनियम धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए और उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम जून, 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र द्वारा अंगीकृत राजनीतिक घोषणा को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, जिसमें सदस्य देशों से राष्ट्रीय धन शोधन कानून और कार्यक्रम को अपनाने का आह्वान किया गया था।

8. पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 जो धन शोधन से संबंधित है, निम्नानुसार है:-

“3. धन-शोधन से बचना।- जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने या जानबूझकर सहायता करने का प्रयास करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, वह धन शोधन का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण.—संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि-(i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से एक या अधिक में शामिल है, अर्थात्:—

((क) छिपाना; या

((ख) स्वामित्व; या

((ग) अधिग्रहण; या

/

[2023] 14 एस सी आर।

((घ) उपयोग; या

((ई) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या (च) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना, किसी भी तरह से;

((ii) अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक निरंतर गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय का

आनंद उसे छिपाकर या कब्जा करके या अधिग्रहण करके या उसका उपयोग करके या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके ले रहा हो। "9. उक्त अधिनियम की धारा 45 तत्काल अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होने के कारण तैयार संदर्भ के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत की गई है:-

“45. संज्ञेय और गैर-जमानती होने वाले अपराध।— (1)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, [इस अधिनियम के तहत] अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि -

((i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और

((ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय को यह संतुष्ट किया जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है:

बशर्ते कि एक व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से अंतर्गत आयु का है, या एक महिला है, या बीमार है या संक्रमित है, या अपने दम पर या धन शोधन के अन्य सह-अभियुक्तों के साथ एक करोड़ रुपये से अंतर्गत की राशि का आरोपी है, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश देता है: बशर्ते कि विशेष न्यायालय दंडनीय किसी भी धारा 4 का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके कि -

((i) निदेशक; या

((ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी जो उस सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो।

825

तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक निर्देश [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 826

(1 क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की जांच तब तक नहीं करेगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं किया जाता है, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित की जाएं। (2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट जमानत देने की सीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर उस समय लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत सीमाओं के अलावा है।

स्पष्टीकरण.—संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "संज्ञेय और गैर-जमानती होने का कारण बनता है" पद का अर्थ होगा और हमेशा यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय अपराध और गैर-जमानती अपराध होंगे, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, और तदनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत अधिकारियों को धारा 19 के अंतर्गत शर्तों की पूर्ति के अधीन और इस धारा के अंतर्गत निहित शर्तों के अधीन, वारंट के बिना एक आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है।

10. पी. एम. एल. अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और उक्त अधिनियम के अंतर्गत जांच/जांच करते समय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को इससे पहले चुनौती दी गई थी।

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय

और अन्य 5, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम के उक्त प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया था। उक्त अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या के संबंध में पक्षों के लिए विद्वान वकीलों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, इसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:-

“269. 2002 के अधिनियम की धारा 3 की खुली भाषा से, यह स्पष्ट है कि धन शोधन का अपराध अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है जो किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त किया गया था। प्रक्रिया या गतिविधि किसी भी रूप में हो सकती है-चाहे वह छिपाने, कब्जा करने, अधिग्रहण करने की हो।

5 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929

/

[2023] 14 एस सी आर।

अपराध की आय का उतना ही उपयोग करना जितना कि इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या ऐसा होने का दावा करना। इस प्रकार, अपराध की आय से जुड़ी ऐसी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना धन-शोधन से संबंधित होगा। अन्यथा इस अपराध का अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है-सिवाय उस अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त अपराध की आय के। 270. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि केवल आपराधिक गतिविधि (एक निर्धारित अवधि) के परिणामस्वरूप संपत्ति प्राप्त होने या प्राप्त होने के बाद ही की जा सकती है। अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना या सहायता करना या उसमें पक्षकार होना धन शोधन का एक कारण होगा और किसी तथ्य की स्थिति में ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि एक निरंतर कार्य हो सकती है, चाहे निर्धारित अपराध की तारीख और

समय कुछ भी हो। दूसरे शब्दों में, आपराधिक गतिविधि 2002 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए अनुसूचित के रूप में अधिसूचित किए जाने से पहले की जा सकती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपराध की आय से निपटने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त है, तो ऐसी आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त होने के बाद भी इसे अनुसूचित के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो 2002 के अधिनियम के अंतर्गत धन शोधन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है-अपराध की आय (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) को बनाए रखने या छिपाने के लिए या इसका कब्जा बनाए रखने के लिए या पूरी तरह से समाप्त होने तक खाइयों में इसका उपयोग करने के लिए। धन-शोधन का कार्य उस तारीख पर निर्भर नहीं है या उससे जुड़ा नहीं है जिस पर निर्धारित कार्य किया गया है या यदि हम ऐसा कह सकते हैं तो कार्य किया गया है। प्रासंगिक तिथि वह तिथि है जिस पर व्यक्ति अपराध की ऐसी आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होता है। ये तत्व मूल प्रावधान में अंतर्निहित हैं (धारा 3, जैसा कि 2013 तक संशोधित किया गया था और 31.7.2019 तक लागू था); और इसे केवल वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के स्पष्टीकरण के माध्यम से समझाया और स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार समझा जाता है कि 2019 में अंतःस्थापित स्पष्टीकरण में खंड (ii) को शामिल करने का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि यह धारा 3 के दायरे को बिल्कुल भी नहीं बदलता है या विस्तारित नहीं करता है।

271 282 तक।

283. भले ही 2002 का अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, लेकिन यह केवल धन शोधन से जुड़े मामलों के संबंध में है, और 827

तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक निर्देश [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 828

इसके लिए, अधिनियम की धारा 2 (1) (यू) के अर्थ के भीतर अपराध की आय का अस्तित्व सर्वोपरि है। अपराध की आय के अभाव में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, 2002 के अधिनियम के अंतर्गत अधिकारी कदम नहीं उठा सकते हैं या कोई अभियोजन शुरू नहीं कर सकते हैं।

284. दूसरे शब्दों में, 2002 के अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण को किसी व्यक्ति पर धन-शोधन के अपराध के लिए केवल तभी मुकदमा चलाना है जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, जिसे लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति के पास "अपराध की आय" है। केवल तभी जब उस विश्वास को अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता का संकेत देने वाले ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाता है, तो अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई अपराध की आय को कुर्क करने और स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है और जब तक इसे केंद्र सरकार में निहित नहीं किया जाता है, तब तक शुरू की गई ऐसी प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी। "

11. जहां तक उक्त अधिनियम की धारा 45 (1) में निहित जमानत देने की दोहरी शर्तों का संबंध है, विजय मदनलाल (उपर्युक्त) के उक्त निर्णय में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

“412. नतीजतन, हमें यह देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कार्यवाही की प्रकृति, चाहे वह 1973 की संहिता की धारा 438 के अंतर्गत हो या उस मामले के लिए, संवैधानिक न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करके, 2002 की धारा 45 के अंतर्निहित सिद्धांतों और कठोरता को लागू किया जाना चाहिए और 2002 के अधिनियम के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए बिना किसी अपवाद के गणना की जानी चाहिए, जो कि धन-शोधन के खतरे से निपटने के लिए कड़े नियामक उपायों का प्रावधान करने वाला एक विशेष कानून है। ”

12. गौतम कुंडू बनाम में। प्रवर्तन निदेशालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), भारत सरकार ने मनोज कुमार, सहायक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र 6 के माध्यम से यह निम्नानुसार देखा गया:-

“30. पी. एम. एल. ए. की धारा 45 के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका पालन करने की आवश्यकता है, जिसे धारा 65 और पी. एम. एल. ए. की धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया गया है। धारा 65 में यह अपेक्षा की गई है कि सी. आर. पी. सी. के प्रावधान लागू होंगे जहाँ तक वे

6 (2015) 16 एससीसी 1

/

[2023] 14 एस सी आर।

इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं और धारा 71 में प्रावधान है कि पी. एम. एल. ए. के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य विधि में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे। पी. एम. एल. ए. का एक प्रमुख प्रभाव है और सी. आर. पी. सी. के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों। इसलिए, पी. एम. एल. ए. की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत जमानत के लिए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं होता है, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध की आय धन-शोधन में शामिल है और यह साबित करने का बोझ कि अपराध की आय शामिल नहीं है, अपीलार्थी पर है। ”

13. वनों से भरी कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आइए हम पक्षों के लिए विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर विचार करें। यह मामूली बात है कि अदालत को जमानत की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करते समय, जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य को सावधानीपूर्वक तौलना आवश्यक नहीं है, फिर भी, अदालत को आरोप की प्रकृति, उसके

समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति, कथित अपराध के लिए निर्धारित सजा की गंभीरता, आरोपी के चरित्र, ऐसी परिस्थितियां जो आरोपी के लिए विशिष्ट हैं, मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति हासिल करने की उचित संभावना, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हितों आदि को ध्यान में रखना चाहिए। हालाँकि, जमानत देते या अस्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्णय अस्थायी प्रकृति के होंगे, फिर भी न्यायालय से उम्मीद की जाती है कि वह जमानत देने या देने से इनकार करने के लिए प्रथम दृष्टया राय व्यक्त करेगा जो विशेष रूप से आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विवेकपूर्ण अनुप्रयोग को प्रदर्शित करेगा।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लूथरा द्वारा उठाया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह होगा कि अपीलार्थी का नाम न तो प्राथमिकी में था और न ही पहली तीन अभियोजन/पूरक शिकायतों में और केवल पीएमएल अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत जारी समन के अनुसार दर्ज किए गए गवाहों के बयानों के आधार पर फंसाया गया है, जिसके समर्थन में कोई सामग्री नहीं है।

15. हमारी राय में, उक्त प्रस्तुतिकरण में शायद ही कोई योग्यता है

श्री लूथरा का आरोहित टंडन बनाम। प्रवर्तन निदेशालय 7, एक तीन

7 (2018) 11 एससीसी 46 829

तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक निर्देश [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 830

न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त अधिनियम की धारा 50 के मद्देनजर गवाहों/अभियुक्तों के बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं और इस तरह के बयान धन शोधन के गंभीर अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में एक दुर्जेय मामला बना सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि विजय मदनलाल (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन का अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है जो किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध उस तारीख पर निर्भर नहीं है या उससे जुड़ा नहीं है जिस दिन अनुसूचित अपराध या भविष्यवाणी की गई है। प्रासंगिक तिथि वह तिथि है जिस पर व्यक्ति अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होता है। इस प्रकार, किसी भी आपराधिक गतिविधि में व्यक्ति की संलिप्तता जैसे कि छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना, अपराध की आय का उपयोग करना जितना कि इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या ऐसा होने का दावा करना, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन का गठन करेगा।

16. जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, जैसा कि अपीलार्थी के खिलाफ पूरक शिकायत से प्रेरित है, उक्त अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत दर्ज गवाहों के बयानों के

अलावा, दस्तावेजों के रूप में पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि कैसे अपीलार्थी जानबूझकर एक पक्ष था और वास्तव में प्रक्रिया में और अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था, और वह कैसे अपराध की ऐसी आय को बेदाग के रूप में पेश कर रहा था/दावा कर रहा था और कैसे वह अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अपराध की आय का लाभार्थी था।

17. अब तक तय की गई शर्तों के साथ-साथ धारा 45 के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं। इनका पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अनुमत वैधानिक धारणा के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण यह अनुमान लगाने का हकदार है जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है कि अधिनियम के अंतर्गत अपराध की आय से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन के आरोप में आरोपित व्यक्ति के मामले में, अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है। पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का जमानत के आवेदन के संबंध में भी पालन करना होगा।

/

[2023] 14 एस सी आर।

पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 71 के अंतर्गत, उस समय लागू अन्य विधि पर पी. एम. एल. अधिनियम को दिए गए अधिमान्य प्रभाव को देखते हुए, धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत बनाया गया।

18. विद्वान अधिवक्ता श्री लूथरा द्वारा अपीलार्थी को इस आधार पर जमानत देने का निवेदन कि अन्य सह-अभियुक्त जो अपीलार्थी के समान स्थित थे, उन्हें भी जमानत दी गई है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि समानता विधि नहीं है। समानता के सिद्धांत को लागू करते समय, न्यायालय को अभियुक्त से जुड़ी भूमिका अंतर्गत ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है जिसका आवेदन विचाराधीन है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मुख्य अभियुक्त श्री. एस. बी. एफ. एल. के प्रबंध निदेशक केवल कृष्ण कुमार और समूह कंपनियों के के. एम. पी. और अन्य आरोपी देवकी नंदन गर्ग, विभिन्न मुखौटा कंपनियों के मालिक/संचालक/नियंत्रक को असंवेदनशीलता और चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी गई थी। सह-अभियुक्त रमन भुरारिया, जो एस. बी. एफ. एल. के आंतरिक लेखा अंतर्गत ीक्षक थे, को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है, हालाँकि उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) होने के कारण चुनौती दी गई है। 2023 का सं. 9047 और यह विचाराधीन है। तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई उक्त प्रस्तुति को पलटते हुए आक्षेपित आदेश में रमन भुरारिया के मामले को अलग किया था और कहा था

कि रमन भुरारिया के विपरीत, जो एस. बी. एफ. एल. के आंतरिक लेखा परीक्षक थे (एस. बी. एफ. एल. के एक संक्षिप्त अवधि के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक), आवेदक खरीद का उपाध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष के रूप में, वह कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए जिम्मेदार था। यह भी देखा गया कि अपीलार्थी की भूमिका वित्तीय संस्थाओं से बनाई गई थी, जहां प्रत्यक्ष ऋण निधियों को एस. बी. एफ. एल. की सहयोगी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां अपीलार्थी या तो एक शेयरधारक या निदेशक था। किसी भी मामले अंतर्गत, रमन भुरारिया को जमानत देने का आदेश इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष विचाराधीन होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के संबंध अंतर्गत कोई टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा।

19. यह स्वयंसिद्ध है कि समानता का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित विधि के समक्ष सकारात्मक समानता की गारंटी पर आधारित है। हालाँकि, यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, या किसी न्यायिक मंच द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या गुणा करने के लिए उच्च या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं।

तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक निर्देश [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] 832

या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या अनियमितता को कायम रखना नहीं है। यदि किसी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी एक या लोगों के समूह को कानूनी आधार या औचित्य के बिना कोई लाभ या लाभ प्रदान किया गया है, तो अन्य व्यक्ति ऐसे गलत निर्णय के आधार पर लाभ के अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं।

20. विद्वान वकील श्री लूथरा के इस कथन को स्वीकार करना भी मुश्किल है कि अपीलार्थी की जाँच पूरी हो चुकी है और मामलों की सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है। उनके अनुसार अपीलार्थी को केवल इसलिए अनिश्चित काल के लिए कैद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अन्य अभियुक्तों के संबंध में जाँच खुली रखी गई है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलार्थी धारा 45 में अनुध्यात सीमा शर्तों को पार करने में सक्षम नहीं रहा है, अर्थात् वह प्रथम दृष्टया यह साबित करने में विफल रहा है कि वह कथित अपराध के लिए दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 45 में निर्धारित शर्त के उद्देश्य से सबूत का भार अभियुक्त पर है कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है। बेशक, इस तरह के बोझ का निर्वहन संभावनाओं पर हो सकता है, फिर भी तत्काल मामले में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन के कथित अपराध में अपीलार्थी की भारी भागीदारी को दर्शाती है, न्यायालय अपीलार्थी को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है। 21. विजय मदनलाल (उपरोक्त) के मामले में इस

न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील की यह आशंका कि मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है और अपीलार्थी को अनिश्चित काल के लिए कैद किया जाएगा, भी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 ए के लागू होने पर, इसमें स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

“419. 1973 की संहिता की धारा 436 ए एक संपूर्ण लाभकारी प्रावधान है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए है और जो केवल उन बाहरी सीमाओं को निर्दिष्ट करता है जिनके भीतर मुकदमा समाप्त होने की उम्मीद है, जिसमें विफल रहने पर आरोपी को आगे हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। वास्तव में, 1973 की संहिता की धारा 436 ए में यह भी विचार किया गया है कि इस प्रावधान के अंतर्गत राहत यंत्रवत रूप से नहीं दी जा सकती है। 1973 की संहिता की धारा 167 के अंतर्गत डिफॉल्ट जमानत के विपरीत, यह अभी भी न्यायालय के विवेक के भीतर है। हालाँकि, 1973 की संहिता की धारा 436 ए अंतर्गत न्यायालय की आवश्यकता है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

मामले-दर-मामले के आधार पर राहत पर विचार करना। जैसा कि उसमें परंतुक स्वयं यह मानता है कि किसी मामले में, न्यायालय द्वारा हिरासत को अवधि के आधे से भी अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है, जिसके लिए उसके द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाने हैं और ऐसे नियम और शर्तें भी लागू की जानी हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिहाई के बाद, अभियुक्त मुकदमे को तेजी से पूरा करने के लिए खुद को उपलब्ध कराए। ”

22. अंत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि जैसा कि निर्णयों के कैटेना में कहा गया है, आर्थिक जोखिम एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ दौरा करने की आवश्यकता होती है। आर्थिक संकट की गहरी साजिशों और सार्वजनिक धन के भारी नुकसान को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है और इसे गंभीर संकट के रूप में माना जाना चाहिए जो समग्र रूप से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और इस तरह देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। निस्संदेह, आर्थिक प्रतिकूल प्रभावों का समग्र रूप से देश के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उद्धृत करने के लिए

इस संबंध में कुछ निर्णय वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो **8**, निम्मगड्डा प्रसाद बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो **9**, गौतम कुंडू बनाम। प्रवर्तन निदेशालय (ऊपर), बिहार राज्य और एक अन्य बनाम अमित कुमार उर्फ बच्चा राय **10**. यह न्यायालय आर्थिक हानि के संबंध में गंभीरता से ध्यान देते हुए यह देखा गया था कि

1987 में गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल जितामलजी पोरवाल और अन्य 11 के मामले में जैसा कि नीचे दिया गया है:-

“5... यदि राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले आर्थिक संकटों को कानून के दायरे में नहीं लाया जाता है तो पूरा समुदाय दुखी होता है। भावनाओं को जगाने पर क्षण की गर्मी में हत्या की जा सकती है। समुदाय के लिए परिणाम की परवाह किए बिना व्यक्तिगत लाभ पर नज़र रखने के साथ शांत गणना और जानबूझकर डिजाइन के साथ एक आर्थिक कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित को हुए नुकसान की परवाह किए बिना सफेदपोश अपराधों को देखने वाले हलकों से आलोचना के डर के बिना समान रूप से न्याय देने के लिए व्यवस्था में समुदाय के विश्वास और विश्वास को खोने की कीमत पर ही समुदाय के हित की अवहेलना प्रकट की जा सकती है।

8 (2013) 7 एससीसी 439 9 (2013) 7 एससीसी 466 10 (2017) 13 एससीसी 751 11 (1987) 2 एससीसी 364 833

TARUN KUMAR बनाम सहायक निदेशक निर्देश [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

23. प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति के साथ, धन शोधन जैसे आर्थिक जोखिम देश की वित्तीय प्रणाली के कामकाज के लिए एक वास्तविक खतरा बन गए हैं और जांच एजेंसियों के लिए लेनदेन की जटिल प्रकृति का पता लगाने और समझने के साथ-साथ इसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। यह देखने के लिए कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर गलत तरीके से मामला दर्ज नहीं किया गया है और कोई भी अपराधी विधि के चंगुल से न बचे, जांच एजेंसी द्वारा बहुत सूक्ष्म अभ्यास किए जाने की उम्मीद है। जब न्यायालय द्वारा अभियुक्त की नजरबंदी जारी रखी जाती है, तो न्यायालय ों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे एक उचित समय के भीतर मुकदमे को समाप्त कर दें, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत त्वरित मुकदमे के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।

24. पूर्व-वर्णित टिप्पणियों के साथ, अपील खारिज कर दी जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे